निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति

1. <u>विभाग का वित्तीय प्रबन्धन</u>

शिक्षा के विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय प्रबन्धन आयोजना, आयोजना भिन्न एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–2016 की वास्तविक व्यय राशि की स्थिति एवं वर्ष 2016–17 में बजट प्रावधान तथा माह दिसम्बर 2016 तक का व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख रूपयों में)

मद	वास्तविक व्यय 2013–14	वास्तविक व्यय 2014–15	वास्तविक व्यय 2015–16	आय व्ययक अनुमान 2016–17	आई.एफ.एम.एस. अनुसार दिसम्बर 2016 तक व्यय
1. आयोजना भिन्न	629414.65	701410.15	606950.48	588350.18	412751.99
प्रभृत	5.33	2.99	7.34	0.21	6.75
आयोजना (एस.एस.ए सहित)	193044.35	431610.14	425613.45	498672.86	353124.01
केन्द्र प्रवर्तित योजना	2730.90	-	-	-	-
योग	825195.23	1133023.28	1032571.27	1087023.25	765882.75

विस्तृत विवरण परिशिष्ट 8 पर संलग्न है।

2 <u>निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना–</u> राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा राजकीय विद्यालयों की तरह ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी परियोजना/शैक्षिक परियोजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा संचालित किये जा रहे वैकल्पिक विद्यालयों, नवाचारी शिक्षा केन्द्रों, सहज शिक्षा केन्द्रो, शिक्षा मित्र केन्द्रों, राष्ट्रीय बालाश्रम परियोजना, राज.मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसा, मॉ–बाडी प्राथमिक केन्द्रो, मॉडल स्कूल केन्द्रों एवं भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान, राजस्थान द्वारा संचालित वनवासी परियोजना बांसवाड़ा के विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अन्तर्गत पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। गत चार वर्षों की प्रगति तथा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर तक की प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	भौतिक प्रगति (पुस्तकों की संख्या करोड़ों में)	वित्तीय प्रगति (व्यय राशि करोड़ में)
2011–12	3.55	34.77
2012–13	3.61	65.51
2013–14	3.46	69.99
2014–15	2.94	70.00
2015–16	2.80	70.00
2016–17	3.39	18.14 (दिसम्बर तक व्यय)

3 **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमाः–** राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। यह योजना समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के नवाचारी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर लागू है। इसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है। विद्यार्थी की दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की दशा में माता/पिता/संरक्षक को बीमे की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस हेतु वर्ष 2015–16 के लिये 520.15 लाख रूपये का विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा का नवीनीकरण दिनांक 15.08.15 से 14.08.16 तक करवाया जा कर राशि राज्य बीमा विभाग को जमा करवाई जा चुकी है।

वर्ष	वित्तीय प्रगति (व्यय राशि लाखों में)
2011–12	459.34
2012–13	512.34
2013–14	512.34
2014–15	522.20
2015–16	520.15
2016–17	521.86

प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृतियाँ

क्र.सं	विवरण	पात्र	स्तर	कक्षावार मासिक दर (जुलाई से अप्रैल)	आय सीमा
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	अनुसूचित जाति के छात्र–छात्रा	कक्षा 6 से 8	छात्र 75 रू.प्रति माह छात्रा 125 रू. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	आयकर दाता न हो।
2.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रा	कक्षा 6 से 8	छात्र 75 रू.प्रति माह छात्रा 125 रू. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	आयकर दाता न हो।
3.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछडी जाति (बॉर्डर ऐरिया) के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	विमुक्त एवं घुमन्तु तथा सीमान्त एरिया में विधालयों में अध्ययनरत अन्य पिछडी जाति के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	छात्र 15 रू.प्रति माह छात्रा 20 रू. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	आयकर दाता न हो।
4.	अन्य पिछडा वर्ग छात्रवृति (के.प्र.यो) (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	40 रू प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	44500/– वार्षिक आय
5.	सफाई से जुडे और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवासाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये पूर्व मैट्रिक (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के विद्यार्थी	कक्षा 1 से 8	कक्षा छात्रावासी– डेस्कॉलर (रू. प्र.मा.) 1–2 – 110 रू 3–8 700 रू. 110 रू. 1000 रू. वार्षिक अनुदान (हॉस्टलर) (दस माह हेतु)	–

				750 रू. वार्षिक अनुदान (डेस्कॉलर) (दस माह हेतु)	
6.	अल्प–संख्यक छात्रवृति (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	अल्प–संख्यक समुदाय के विद्यार्थी	कक्षा 1 से 10	कक्षा 6 से 10– प्रवेश शुल्क – 500 रू वार्षिक या वास्तविक शुल्क, जो कम हो कक्षा 6 से 10– शिक्षण शुल्क– 350 प्रतिमाह या वास्तविक शुल्क, जो कम हों। (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु) कक्षा 1 से 10 (गैरछात्रावासी) रखरखाव भत्ता– 100 रू. प्रतिमाह कक्षा 6 से 10 (छात्रावासी) रखरखाव भत्ता– 600 रू. प्रति माह या वास्तविक (जो कम हो) (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	1.00 लाख वार्षिक आय
7.	विशेष पिछड़ा वर्ग (के.प्र.यो) (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	छात्र 50 रू.प्रति माह छात्रा 100 रू. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	2.00 लाख वार्षिक आय

प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (केवल डाईट हेतु)

क्र. स.	विवरण	पात्र	स्तर	कक्षावार मासिक दर (जुलाई से अप्रैल)	अभिभावक आय सीमा
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर– 380 / प्रतिमाह डेस्कालर– 230 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	2.50 लाख रु0 प्र.वर्ष तक
2	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर– 380 / प्रतिमाह डेस्कालर– 230 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	2.50 लाख रु0 प्र.वर्ष तक
3	अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत अन्य पिछडा वर्ग के छात्र (बीपीएल, निशक्त, विधवा, तलाकशुदा, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे)	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर– 260 / प्रतिमाह डेस्कालर– 160 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	1.00 लाख रु0 प्र.वर्ष तक
4	विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत विशेष पिछडा वर्ग के छात्र 1. बजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया– लोहार, गोडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रेबारी (देबासी)	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर– 380 / प्रतिमाह डेस्कालर– 230 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	2.50 लाख रु0 प्र.वर्ष तक

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत देय छात्रवृतियों के विभिन्न मदों में सत्र 2015–16 हेतु 4746.14 लाख रूपये आवंटित की गयी है जिसके अन्तर्गत 912.53 लाख रूपये व्यय किये जाकर शेष कार्य प्रक्रियाधीन है। गत तीन वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत देय छात्रवृतियों का विवरण निम्नानुसार है–

छात्रवृति का नाम	भौतिक प्रगति (लाभान्वितों की संख्या)			वित्तीय प्रगति (व्यय राशि लाख रूपये)		
	2013–14	2014–15	2015–16	2013–14	2014–15	2015–16
अनु. जाति पूर्व मैट्रिक	220509	234486	181992	2120.84	2061.30	1885.66
अनु. जनजाति पूर्व मैट्रिक	202259	168082	191709	1918.41	1942.49	1900.81
ओबीसी घुमन्तु पूर्व मैट्रिक	28770	26492	25923	49.77	45.71	45.76
सफाई से जुडे और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये पूर्व मैट्रिक	83837	54528	89663	1485.70 (सत्र 12–13 की बकाया)	1034.84 (सत्र 13–14 की बकाया)	1610.06
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक	242235	213076	0	3485.70	3308.65	0
ओबीसी पूर्व मैट्रिक	147815	125039	138601	583.37	536.38	555.04
विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक	44827	54438	49154	253.88	245.95	304.74
अनु. जाति उत्तर मैट्रिक	493	332	300	9.65	5.49	5.96
अनु. जनजाति उत्तर मैट्रिक	480	410	47	9.04	8.36	0.81
ओबीसी उत्तर मैट्रिक	885	238	0	11.57	7.05	0
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक	232	243	118	3.68	9.96	7.91

4. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन अभियान

सत्र 2016–17 से विद्यालयों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दो चरणों में मनाया गया प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण 26 अप्रेल 2016 से 10 मई 2016 तक तथा द्वितीय चरण 21 जून 2016 से 30 जून 2016 तक आयोजित किया गया।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसीमन क्षैत्र में आने वाले 06 से 14 आयुवर्ग के उन सभी बच्चों को जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, विद्यालय में चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (सी टी एस) के आधार पर नामित किया गया। इस दौरान प्रवेशोत्सव के तहत बालक/बालिकाओं की नियमित उपस्थिति के संकल्प के साथ विद्यालय जाने योग्य सभी बालक/बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने,विद्यालय को समाज से जोड़ने तथा विद्यालय संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी/अध्यापकों को पाबंद किया गया। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रति जिला 45 हजार रूपये का बजट प्रावधान किया गया । जिसके द्वारा वर्ष 2016–17 में प्रथम चरण में 186149 नव प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या तथा द्वितीय चरण में 187240 नव प्रवेशित विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया गया कुल 373389 नवप्रवेशित बालक/बालिकाओं ने प्रवेश कराया गया ।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामाकंन अभियान

वर्ष	प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में नव प्रवेशियों की संख्या		कुल नामांकन
	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
2011–12	–	–	–
2012–13	–	–	–
2013–14	–	–	–
2014–15	–	–	400921
2015–16	208861	643824	852685
2016–17	186149	187240	373389

5. शिक्षक पुरस्कार

इस वर्ष 2016–17 में पूरे प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा से शिक्षक पुरस्कार के कुल 06 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भिजवा दिये गये जिनमें से 03 शिक्षकों का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ। विभाग में उत्कृष्ट कार्य किये जाने वाले शिक्षको को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित कर राज्य स्तर पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जिन्हें 5 सितम्बर 2016 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा से चयनित एवं पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है । शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया गया।

वर्ष	राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों की सख्या
2014–15	06
2015–16	08
2016–17	03

6. <u>शैक्षिक भ्रमण</u>

राज्य के उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण की योजना संचालित है। इस योजना के तहत कार्यालय स्तर से पत्रांक शिविरा/प्रारं/ शैक्षिक/ सी / 3664/ शैक्षिक भ्रमण/ सीएम घोषणा/ 16–17 दिनांक 05.08.2016 द्वारा समस्त उपनिदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक भ्रमण का कैलेण्डर जारी किया गया जिसके तहत आवेदन प्राप्ति की तिथि तथा प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता का निर्धारण कर छात्र–छात्राओं का चयन करना व संबंधित को सूचित करना तत्पश्चात उपनिदेशक कार्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुमोदन के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाया जाता है। इस सत्र 2016–17 में शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत 420 विद्यार्थी लाभान्वित हुए । गत वर्षो में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैः–

वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
2011–12	–
2012–13	502
2013–14	335
2014–15	398
2015–16	389
2016–17	420
योग	2044